पत्र संख्या-स्था-5(ख)-सामान्य स्थानान्तरण -2019-20 // 870 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 30 मई, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- वर्ष 2019-20 के लिये अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या- 3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29-03-2018 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 के लिए सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के क्रम में वाणिज्य कर विभाग के समूह-ग व घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण के संबंध में मुख्यालय के पत्र संख्या-131 दिनांक 06-04-2018 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त क्रम में शासन के पत्र संख्या-2/2019/1/3/96-का-4-2019 दिनांक 28-05-2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा स्थानान्तरण सत्र-2019-20 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार स्थानान्तरण सत्र-2019-20 में वाणिज्य कर विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता / जनहित / राजस्व हित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि 30 जून 2019 तक एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश और जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर तथा 30 जून 2019 के उपरान्त एक स्तर उच्च अधिकारी या कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगें।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासन के पत्र दिनांक 28-05-2019 एवं मुख्यालय के पत्र दिनांक 06-04-2018 के क्रम में मुख्यालय स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र / प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 12-06-2019 तक मुख्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

30/5/19
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सँख्या :: एवं दिनॉक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के पत्र दिनांक 28-05-2019 की प्रति सहित प्रेषित:-

1- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
4- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेंट कमिश्नर(ए) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6- पटल प्रभारी -स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) /स्था-4(क) /स्था-4(ख) /स्था-4(ग) /स्था-4(घ) / स्था-3 क / स्था-3ख वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-2/2019/1/3/96-का-4-2019

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2019

विषयः-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29 मार्च 2018 के द्वारा सत्र 2018-2019 से 2021-22 के लिए स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी थी । वर्ष 2019-2020 में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 के लिये उक्त स्थानान्तरण नीति दिनांक 29 मार्च 2018 के प्रस्तर 8, 9 एवं 10 में निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है-

8. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र 2019-20 में 30 जून 2019 तक पूर्ण कर लिये जायें।

9. स्थानान्तरण सत्र 2019-20 में 30 जून 2019 के उपरान्त समूह 'क' के कार्मिकों के संबंध में मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा. विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा।

10. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो 15 जून 2019 तक मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

उपरोक्त व्यवस्था मात्र स्थानान्तरण सत्र 2019-20 के लिये हैं, अन्य आगामी स्थानान्तरण सत्रों 2020-21 से 2021-22 के लिये स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29 मार्च 2018 के उपबंध यथावत लागू रहेंगे ।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव